

**THE UTTAR PRADESH STATE OPEN SCHOOL BOARD
ACT, 2008
(U.P. ACT No. 27 OF 2008)
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)**

--
ARRANGEMENT OF SECTIONS

--
**CHAPTER-I
PRELIMINARY**

Sections:-

- 1. Short title, extent and commencement**
- 2. Definitions**

**CHAPTER-II
THE BOARD**

- 3. Establishment & incorporation of the Board**
- 4. Constitution of the Board**
- 5. Executive Committee**
- 6. Powers and Functions of the Board**
- 7. Salary-Honorarium & Allowances of Chairperson & other members of the Board**
- 8. Terms of Office of other members of the Board**
- 9. Casual Vacancies**
- 10. Terms of Office of Chairperson**
- 11. Disqualification supervening membership of the Board**
- 12. Resignation of Chairperson and other members**
- 13. Temporary arrangement for the office of the Chairperson**
- 14. Disqualification**
- 15. Conduct of meeting**
- 16. Restriction on Vote**
- 17. Person in the service of the Board**

**CHAPTER-III
COMMITTEES OF THE BOARD**

- 18. Academic advisory Committee**
- 19. Other Committees of the Board**
- 20. Functions of syllabus Committee**
- 21. Functions of examination Committee**
- 22. Functions of the Recognition Committee**
- 23. Functions of the Finance Committee**
- 24. Functions of other Committee**

CHAPTER-IV
POWERS AND FUNCTIONS OF CHAIRPERSON AND DIRECTOR
25. Powers and functions of Chairperson and the Director

CHAPTER-V
MEETINGS
26. Meetings of the Board

CHAPTER-VI
FINANCE & AUDIT
27. Annual Report
28. Budget
29. Grant by the State Government
30. Fund of the Board
31. Expenditure from the fund
32. Accounts
33. Audit
34. Audit Report

CHAPTER-VII
SUPPLEMENTAL PROVISIONS
35. Payment of allowances
36. Board to furnish information
37. Power of State Government to suspend proceedings
38. Certain persons deemed to be public servants.
39. Indemnity
40. Savings
41. Transitory provisions
42. Powers to make rules
43. Powers to make regulations
44. Board to be guided by directions of State Government

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्

अधिनियम, 2008

(जैसा उत्तर प्रदेश, विधानसभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में मुक्त विद्यालय परिषद् को स्थापित करने एवं निगमित करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए जो किसी विद्यालय में अपना प्रवेश नहीं करा सकते हैं, विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त
नाम,

विस्तार और
प्रारम्भ

2- इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) 'परिषद्' का तात्पर्य धारा-3 के अधीन स्थापित राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश से है;
- (ख) 'केन्द्र अधीक्षक' का तात्पर्य परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के पर्यवेक्षण के लिए परिषद् द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (ग) 'सभापति' का तात्पर्य धारा-4 के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति से है;

- (घ) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा-4 के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त परिषद् के निदेशक से है;
- (ङ) 'कार्यकारिणी समिति' का तात्पर्य धारा-5 के अधीन गठित परिषद् की कार्यकारिणी समिति से है;
- (च) 'संस्था का प्रधान' का तात्पर्य परिषद् के किसी अध्ययन-केन्द्र के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका से है;
- (छ) 'निरीक्षक' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है;
- (ज) 'मुक्त विद्यालय' का तात्पर्य परिषद् के अधीन समस्त अध्ययन-केन्द्रों से है जिसमें परिषद् भी सम्मिलित है;
- (झ) 'विनियम' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;
- (ञ) 'क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप-शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक)' का तात्पर्य किसी क्षेत्र के संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप-शिक्षा निदेशक से है;
- (ट) 'सचिव' का तात्पर्य धारा-17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परिषद् के सचिव से है;
- (ठ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य मुक्त विद्यालय की इकाई के रूप में परिषद् द्वारा अभिज्ञानित और अनुमोदित संस्था से है।

अध्याय-दो

परिषद्

परिषद् की
स्थापना
और उसका
निगमन

3-(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र अधिसूचना द्वारा एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसे राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश कहा जायेगा।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

परिषद् का
गठन

4-(1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(क) सभापति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी होगा, जो शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सभापति

- (ख) निदेशक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो अपर शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो –सदस्य सचिव
- (ग) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो –पदेन सदस्य
- (घ) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो –पदेन सदस्य
- (ङ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो –पदेन सदस्य
- (च) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो –पदेन सदस्य
- (छ) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो –पदेन सदस्य
- (ज) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, इलाहाबाद –पदेन सदस्य
- (झ) निदेशक, आकाशवाणी, इलाहाबाद –पदेन सदस्य
- (ञ) कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद या उसका नाम निर्देशिती, जो विश्वविद्यालय के किसी विभाग के उपाचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो –पदेन सदस्य
- (ट) निदेशक, पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद –पदेन सदस्य
- (ठ) क्षेत्र सलाहकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली –पदेन सदस्य
- (ड) राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि –सदस्य
- (ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविद्, जिनमें से एक महिला शिक्षाविद् होगी –सदस्य
- (ण) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन ऐसे प्रतिनिधि जो अध्ययन-केन्द्रों के प्राचार्य होंगे, जिनके पास प्राचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो –सदस्य

- (त) निदेशक, उद्योग, कानपुर या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —सदस्य
- (थ) निदेशक, राजकी मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो —पदेन सदस्य
- (द) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश —पदेन सदस्य
- (ध) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश —पदेन सदस्य
- (2) परिषद् के गठन को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

कार्यकारिणी
समिति

5—(1) परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (क) परिषद् का सभापति —पदेन सभापति
- (ख) शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) या उसका नाम निर्देशिती —पदेन सदस्य
- (ग) निदेशक, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश —पदेन सदस्य सचिव
- (घ) कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद —सदस्य
- (ङ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या उसका नाम—निर्देशिती —पदेन सदस्य
- (च) निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसका नाम—निर्देशिती —सदस्य
- (छ) शिक्षा निदेशक (बेसिक) , उत्तर प्रदेश या उसका नाम—निर्देशिती —पदेन सदस्य
- (ज) राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि —पदेन सदस्य
- (2) सभापति कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

परिषद् की
शक्तियाँ
और कृत्य

6— (1) परिषद् विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित समस्त विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए परिषद् की सामान्यतः निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी—

- (एक) विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के क्रियाकलापों को निदेशित करना व पर्यवेक्षण करना तथा नियन्त्रित करना;
- (दो) माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले अनेक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उनका विकास करना;
- (तीन) परिषद् के छात्रों के लिए व्यवसायिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उसका विकास करना, उसे विहित करना और प्रदान करना;
- (चार) मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, कम्पैक्ट डिस्क, रोम और अन्य रूपों में स्वअध्ययन सामग्री की रूपरेखा तैयार करना और उसका विकास करना;
- (पाँच) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करना;
- (छः) राज्य स्तर की संस्थाओं यथा—राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन तथा प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं ऐसी अन्य संस्थाओं से सहयोग करना;
- (सात) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों यथा—राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रमण्डल शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष और तत्सदृश अन्य ऐसे अभिकरणों से सहयोग करना जो गुणवत्ता और दूरस्थ शिक्षा प्रक्रिया और सामग्री के मानक में सुधार के प्रयास के लिए अनवरत संरत हो।
- (आठ) नैदानिक समस्या के समाधान के लिए और मुक्त विद्यालय के निर्माण में विकास प्रगति के लिए शोध और विशेषकर कार्यात्मक शोध प्रारम्भ करना;

- (नौ) मुक्त विद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन-केन्द्रों को खोलने के लिए अभिकरणों और संस्थाओं से सहयोग करना और ऐसे शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन-केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान करना;
- (दस) शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन-केन्द्रों की उचित कार्यपद्धति के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना;
- (ग्यारह) परिषद् द्वारा विकसित शिक्षा और अन्य सामग्री प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना और उन्हें मुद्रित करना;
- (बारह) विनियमों, छात्रों के पंजीकरण की शर्तों, परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्रता, मानदण्ड और ऐसी परीक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया तथा अध्यापन एवं परीक्षा के समुचित सम्पादन के लिए समस्त आवश्यक अन्य मामले विहित करना और प्रमाण-पत्र भी प्रदान करना;
- (तेरह) शुल्क और अन्य प्रभारों और उनके संग्रह की पद्धति के लिए उपविनियम विहित करना;
- (चौदह) मुक्त विद्यालय के कर्मचारिवर्ग के सदस्यों, समन्वयको, मुक्त विद्यालय के अध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना जिन्हें अध्यापन-केन्द्रों और मुक्त शिक्षण से सम्बन्धित कार्मिक के राज्य प्रशिक्षण में संसाधन केन्द्र द्वारा शिक्षण सहायकों के रूप में लगाया जा सके।

स्पष्टीकरण-

- (क) "समन्वयक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समन्वयक के रूप में परिषद् द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति से होगा;
- (ख) 'विद्यालयों के अध्यापकों' का तात्पर्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर रहे मुक्त विद्यालय

के अध्यापकों से होगा और इसके अन्तर्गत प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाएं भी होंगी;

- (पन्द्रह) परिषद् के लिए परिसर क्रय करना या अन्यथा अर्जित करना या उसे पट्टा या किराए पर लेना;
- (सोलह) परिषद् की निधि और धन को निवेशित करना और उसे संव्यवहार में लाना;
- (सत्रह) पुस्तकों और अन्य माध्यमों में शिक्षा सम्बन्धी सामग्री से युक्त पुस्तकालय की स्थापना करना;
- (अठारह) परिषद् के प्रयोजनार्थ सरकार या किसी व्यक्ति से अनुदान, अंशदान, शुल्क, दान, उपहार, वसीयत जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त या स्वीकार करना;
- (उन्नीस) परिषद् के उपयोग के लिए भवन बनाना, उसका निर्माण करना, रख-रखाव करना और किसी विद्यमान भवन में परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत और परिष्कार करना और ऐसे भवन को उपयुक्त रूप से सुसज्जित करना;
- (बीस) परिषद् के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी समितियां या उप-समितियां नियुक्त करना जैसी उचित समझी जायें और ऐसी समितियों या उप-समितियों के उचित कार्यकरण के लिए विनियम और मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करना;
- (इक्कीस) परिषद् के कार्मिक सम्बन्धी प्रशासन के लिए और परिषद् के कृत्यों के उचित प्रबन्धन के लिए, जिसके अन्तर्गत परिषद् के कर्मचारिवर्ग हेतु कल्याणकारी उपाय भी हैं, सेवा विनियमावली बनाना;
- (बाईस) परिषद् के और अधिक प्रभावी प्रबन्धन और कार्यकरण के लिए विद्यालय के किसी अधिकारी को या परिषद् द्वारा गठित किसी समिति या उपसमिति को अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;

- (तेईस) ऐसे समस्त विधि-सम्मत कार्यो और विषयो पर, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियो के लिए आनुषंगिक हों या न हों, कार्रवाई करना जिन्हें परिषद् के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अग्रसर करने के लिए किया जाना अपेक्षित हो;
- (चौबीस) परिषद् के अधीन प्रशासनिक, प्राविधिक और अन्य पदों, निदेशक के पद को छोड़कर, का सृजन करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उन पर नियुक्ति करना;
- (पच्चीस) अध्यापकों और अध्येताओं के आदान-प्रदान द्वारा सामान्यतः ऐसी रीति से जो ऐसे उद्देश्य के लिए सहायक हों, ऐसी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः परिषद् के उद्देश्यों के सदृश हों;
- (छब्बीस) परिषद् हेतु कार्यकलापों के संचालन के लिए विनियम बनाना;
- (सत्ताइस) परिषद् की निधि का अनुरक्षण करना;
- (अट्ठाइस) खण्ड (छब्बीस) में विनिर्दिष्ट निधि में जमा समस्त धन को ऐसे बैंकों में जमा करना या उन्हें राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति से निवेशित करना जैसा परिषद् विनिश्चित करे;
- (उनतीस) उपरोक्तानुसार परिषद् के व्यय, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निष्पादन करते समय उपगत हुए व्यय भी हैं, की पूर्ति करना;
- (तीस) लेखे और अन्य अभिलेख तैयार करना और उन्हें रखना और परिषद् के लेखों (तुलन-पत्र सहित) का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करना जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमावली द्वारा विहित किया जाय।
- (इकतीस) ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे, यथा प्रमाणित परिषद् का लेखा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से भेजना;
- (बत्तीस) मान्यता समिति की संस्तुति, यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त ऐसे अध्ययन केन्द्रों को ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाये जायें, मान्यता

प्रदान करना, अस्वीकार करना और, यदि वह उचित समझे, ऐसी मान्यता को वापस लेना;

- (तैंतीस) मान्यता प्राप्त अध्ययन-केन्द्रों का रजिस्टर रखना;
- (चौंतीस) मान्यता प्राप्त अध्ययन-केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था करना,
- (पैंतीस) पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त विनियमों द्वारा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, अनुसरण किये जाने वाले पाठ्यक्रम और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अध्ययन की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करना;
- (छत्तीस) मुक्त विद्यालय के छात्रों के उपयोग के लिए, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों की तैयारी प्रकाशन और विक्रय का दायित्व लेना;
- (सैंतीस) मुक्त विद्यालय के छात्रों के उपयोग के लिए और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अनुमोदित पुस्तकों की सूची रखना, समय-समय पर प्रकाशित करना और ऐसी किसी सूची से किसी ऐसे पुस्तक के नाम को हटाना;
- (अड़तीस) परीक्षाओं का संचालन करना और इस निमित्त विनियमों को बनाना;
- (उनतालीस) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना और उनके सम्बन्ध में डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;
- (चालीस) परीक्षा समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हों, पर विचारोपरान्त विनियमों द्वारा, प्रशिक्षक सारणीकारों, परीक्षकों, कक्ष-निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में नियोजित अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों और ऐसी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस को उपबन्धित करना;
- (इकतालीस) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जा सकें, अनुमति प्रदान

करना और अस्वीकार करना या ऐसी अनुमति को, यदि वह उचित समझे, वापस लेना;

(बयालीस) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी भविष्य-निधि संस्थित करना और संचालित करना जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जाये;

(तैंतालीस) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, निकाय, जिसकी सहायता व सलाह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन से सहयुक्त होना जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय;

(चवालीस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें;

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कदम उठाए जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की प्रोन्नति के लिए और ऐसी प्रणाली में अध्यापन, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानकों को अवधारित करने के लिए उचित समझे।

7- परिषद् का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य धारा-30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिषद् की निधि से ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, मानदेय और भत्ते परिषद् के अन्य सदस्यों की पदावधि

8-(1) पदेन-सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट पदावधि की समाप्ति पर किसी सदस्य को पुनः नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

9— यदि सभापति या किसी पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह अपना पद त्याग देता है या अन्यथा सभापति या अन्य सदस्य नहीं रह जाता है तो उक्त रिक्ति को, यथास्थिति नई नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

आकस्मिक रिक्तियां

10— धारा-4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सभापति की नियुक्ति ऐसी अवधि, जो छः वर्ष से अधिक न हो, के लिए होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यथा पूर्वोक्त नियुक्ति अवधि के अवसान पर सभापति की पुनर्नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जैसा कि राज्य सरकार इस प्रकार अवधारित करे, तथपि सभापति के रूप में नियुक्ति की कुल अवधि (जिसमें पुनर्नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है) दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

सभापति की पदावधि

11— सभापति या कोई अन्य सदस्य, यदि धारा-14 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन हो जाता है तो वह ऐसे दिनांक से, जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, यथास्थिति, सभापति या अन्य सदस्य नहीं रह जाएगा।

परिषद् की सदस्यता के बीच में आ पड़ने वाली अनर्हता

12—(1) सभापति, राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में नोटिस देकर अपना पद-त्याग कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर सभापति द्वारा अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

सभापति और अन्य सदस्यों का त्याग-पत्र

(2) कोई अन्य सदस्य सभापति को ऐसा करने के लिए अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है और कार्यकारिणी समिति द्वारा ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर ऐसे सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

13— यदि सभापति की मृत्यु हो जाती है या वह अपना पद त्याग कर देता है या पद पर नहीं रह जाता है या अस्थायी रूप में अनुपस्थित हो या, किसी कारणवश शक्तियों का

सभापति के पद के लिए अस्थायी व्यवस्था

प्रयोग करने और अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार निदेशक को प्राधिकृत करेगी कि वह तब तक सभापति की शक्तियों का प्रयोग करे और उसके कर्तव्यों का निष्पादन करे, यथास्थिति, जब तक सभापति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या नये सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

14— कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या नाम—निर्दिष्ट किये जाने के लिए अनर्ह हो जाएगा यदि वह— अनर्हता

- (क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्यायनिर्णीत किया गया हो;
- (ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो;
- (ग) उन्मुक्त दिवालिया हो जो न्यायालय से यह प्रमाणपत्र न प्राप्त किया हो कि उसे अपनी ओर से किसी अवचार के बिना भ्रमवश दिवालिया बना दिया गया था;
- (घ) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो;
- (ङ) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं या अपनी भागीदारी में,—
 - (एक) परिषद् द्वारा अनुमोदित या परिषद् के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित किसी पाठ्यपुस्तक में कोई अंश या हित धारण करता हो, या
 - (दो) परिषद् के आदेश से किसी कार्य में या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में कोई हित रखता हो, परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी पाठ्यपुस्तक में कोई अंश या हित धारण करता हो, उक्त उपखण्ड के अधीन अनर्हता उपगत किया हुआ नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन या पुनःप्रकाशन के दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हों।

बैठक का
संचालन

15— सभापति या उसकी अनुपस्थिति में निदेशक परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यथास्थिति सभापति या निदेशक को किसी विषय पर मत देने का हक होगा

और ऐसी किसी बैठक में मतों की समानता के प्रत्येक मामले में उसके पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

मत का
निबन्धन

16—(1) परिषद् का कोई सदस्य ऐसे किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा जिसमें उसका कोई व्यक्तिगत हित हो।

(2) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करने वाला सभापति या निदेशक उपधारा (1) के अधीन उठने वाले किसी प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिषद् में
सेवारत
व्यक्ति

17—(1) परिषद् में एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समूह "क" के प्रान्तीय शिक्षा सेवा अधिकारियों में से की जाएगी। सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय। सचिव निदेशक की अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता भी करेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश प्रान्तीय शिक्षा सेवा के अधिकारियों में से कर सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) परिषद् अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे और वह राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन ऐसी नियुक्ति की निबन्धन एवं शर्तों जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय सेवाओं के अधिकारी सम्मिलित हैं को अवधारित करेगी।

(4) परिषद् के लिए सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में भर्ती की रीति या तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या अल्पकालिक संविदा या विनियमित आधार पर होगी, जैसा कि परिषद् उचित समझे। विनिर्दिष्ट प्रकृति के उत्तरदायित्वों के कार्य के लिए व्यक्तियों को, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के उपबन्ध, यदि उचित समझा जाये, सहित नियत परिलब्धियों पर अभिनियोजित किया जायेगा।

(5) कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में वेतनमान राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुरूप होंगे।

अध्याय—तीन

परिषद् की समितियाँ

18—(1) परिषद् अध्ययन पाठ्यक्रमों पर सलाह देने के लिए एक विद्या सलाहकार समिति का गठन करेगी।

विद्या
सलाहकार
समिति

- (2) विद्या सलाहकार समिति द्वारा दी गयी सलाह, परिषद् पर बाध्यकारी नहीं होगी किन्तु यदि परिषद्, विद्या सलाहकार समिति की सलाह को स्वीकार नहीं करती है तो परिषद् विद्या सलाहकार समिति द्वारा दी गयी सलाह को स्वीकार न करने के कारणों को अभिलिखित करेगी।
- (3) इस धारा के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन विद्या सलाहकार समिति में परिषद् द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जाने वाले ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विख्यात विद्याविदों सहित सात सदस्य होंगे।
- (4) सभापति विद्या सलाहकार समिति का सभापति होगा और शैक्षणिक विभाग का प्रधान विद्या सलाहकार समिति का सचिव होगा। परिषद् विद्या सलाहकार समिति में परिषद् के तीन से अधिक सदस्यों को नाम—निर्दिष्ट नहीं करेगी जिसमें सभापति सम्मिलित होगा।
- (5) सभापति विद्या सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (6) विद्या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो परिषद् का सदस्य भी है, तब तक विद्या सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में पद धारण करता रहेगा जब तक वह परिषद् के सदस्य के रूप में प्रविरत नहीं हो जाता है।
- (7) विद्या सलाहकार समिति का कोई सदस्य निदेशक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने के पश्चात् त्यागपत्र दे सकता है और परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह किसी बैठक में तदनिमित्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् विद्या सलाहकार समिति के किसी सदस्य को हटा दें।

19—(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों का भी गठन कर सकती है—

(क) पाठ्य विवरण समिति

(ख) परीक्षा समिति

(ग) मान्यता समिति

(घ) वित्त समिति

(2) परिषद् ऐसी अन्य समिति या समितियों का गठन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में निदेशक होगा जो उसका सभापति होगा और उसमें ऐसे अन्य सदस्य, जो सात से अधिक न हों, होंगे जैसा कि परिषद् उचित समझे।

(4) ऐसी प्रत्येक समिति में उसका एक सचिव होगा जो निदेशक द्वारा परिषद् के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्त किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति में एक सचिव होगा जिसे परीक्षा नियन्त्रक के रूप में जाना जायेगा। ऐसा सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रान्तीय शिक्षा सेवा का अधिकारी होगा।

(5) परिषद् के किसी सदस्य को उपधारा (4) के अधीन गठित किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है किन्तु किसी ऐसी समिति में निदेशक सहित परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या चार से अधिक नहीं होगी।

20—(1) पाठ्य विवरण समिति परिषद् को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सलाह देगी—

(क) पाठ्य विवरण से सम्बन्धित मामले, अनुकरण किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम, और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अध्ययन की जाने वाली पुस्तकें और

(ख) कोई अन्य मामला, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामलों से सम्बन्धित या आनुषंगिक हो, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

परिषद् की
अन्य
समितियाँ

पाठ्य विवरण
समिति के
कृत्य

परीक्षा
समिति के
कृत्य

21—(1) परीक्षा समिति परिषद् को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सलाह देगी—

(क) परीक्षा केन्द्रों का चयन, प्रश्नपत्र बनाने वाले, अनुसीमक, सारिणीकार, परीक्षक, अन्तरीक्षक, पर्यवेक्षक या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में लगाये गये अन्य व्यक्ति और उन्हें संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक दरें।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के लिए संदत्त की जाने वाली फीस, और

(ग) यथा पूर्वोक्त परीक्षाओं से सम्बन्धित ऐसे अन्य मामले जो उसे परिषद् द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जाएं।

(2) परीक्षा समिति, परीक्षा नियन्त्रक के पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा संचालन के लिए उत्तरदायी होगी और सचिव द्वारा सफल छात्रों के लिए जारी किये जाने वाली माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाणपत्रों और व्यवसायिक प्रमाणपत्रों को भी तैयार करेगी।

मान्यता
समिति के
कृत्य

22— मान्यता समिति परिषद् को अध्ययन केन्द्रों की मान्यता से सम्बन्धित समस्त मामलों में सलाह देगी।

वित्त समिति
के कृत्य

23— वित्त समिति परिषद् का बजट तैयार करेगी और परिषद् को वित्त से सम्बन्धित ऐसे मामलों में सलाह देगी जो उसे परिषद् द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायें।

अन्य
समितियों के
कृत्य

24— धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा गठित की गयी समिति, यदि कोई हो, ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जो परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें।

अध्याय—चार

सभापति और निदेशक की शक्तियां और कृत्य

सभापति और
निदेशक की
शक्तियाँ और
कृत्य

25—(1) (क) सभापति परिषद् का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियन्त्रण रखेगा;

(ख) सभापति, किसी आपात स्थिति में, परिषद् की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परन्तु वह परिषद् के किसी विनिश्चय के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा और ऐसी किसी

शक्ति का प्रयोग करने पर उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में उसके लिए कारण सहित परिषद् को यथा शक्य शीघ्र रिपोर्ट देगा।

(2) निदेशक—

(क) परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने और प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) भत्तों के लिए ऐसे दावों को स्वीकृत, ऐसी दरों पर कर सकता है जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे;

(ग) परिषद् के किन्हीं विनिश्चयों के प्रतिकूल होने वाली ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जैसा कि वह परिषद् की समुचित कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय—पांच

बैठकें

परिषद् की
बैठकें

26—(1) परिषद् की वार्षिक बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के माह दिसम्बर में आयोजित की जाएगी।

(2) परिषद् ऐसे अन्य समयों पर बैठकें आयोजित कर सकती है जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे।

(3) परिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) सभापति से परामर्श करके निदेशक द्वारा तैयार की जाने वाली कार्यसूची सहित सदस्यों को दस दिन की नोटिस देने के पश्चात् निदेशक द्वारा परिषद् की बैठक बुलायी जाएगी।

(5) निदेशक सभापति की सलाह पर या उससे परामर्श करके सदस्यों को किसी अत्यावश्यक मामले को व्यवहृत करने के लिए दो दिन की नोटिस देने के पश्चात् परिषद् की आपात बैठक बुला सकता है।

अध्याय—छः

वित्त एवं लेखा परीक्षा

27—(1) सभापति पिछले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् की कार्यप्रणाली पर वार्षिक रिपोर्ट अनुवर्ती वर्ष, जिसमें उसका गठन किया गया हो, के अगले वर्ष में परिषद् की प्रथम वार्षिक बैठक में और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्षिक बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वह उस वर्ष के परिषद् के वार्षिक लेखा को भी प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को, उन पर ऐसी टिप्पणियों सहित जैसा कि सभापति टिप्पणी करने के लिए उचित समझें, परिषद् की वार्षिक बैठक में उन्हें प्रस्तुत किये जाने के एक माह के पूर्व परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा।

28—(1) सभापति उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वार्षिक बैठक आयोजित की जाय, के दौरान परिषद् की प्रत्याशित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि विहित किया जाय, बजट प्राक्कलन प्रत्येक वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(2) बजट प्राक्कलन, परिषद् द्वारा पुष्टिकरण के पश्चात् राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर अग्रसारित कर दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये।

(3) राज्य सरकार बजट प्राक्कलन की प्राप्ति के एक माह के भीतर उस पर या तो अपना अनुमोदन प्रदान करेगी या ऐसी टिप्पणियां और सुझावों, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के साथ उसे परिषद् को वापस कर देगी, यदि उसकी राय में ऐसा प्राक्कलन—

(एक) अभिनिश्चय तथ्यों के सन्दर्भ में युक्तियुक्त या यथार्थ न हो,

(दो) जिसमें आवर्ती व्यय की ऐसी नई मदें सम्मिलित हों, जिन्हें ऐसे आगामी वित्तीय दायित्वों में परिषद् पर अधिरोपित किये जाने की सम्भावना हो जिनकी परिषद् के लिए अपनी आय से पूर्ति करने योग्य होना सम्भव नहीं है; या

(तीन) जिसमें व्यय के ऐसे उपबन्ध सम्मिलित हों, जो इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार न हों।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन बजट प्राक्कलन वापस कर दिया जाता है तो परिषद् राज्य सरकार द्वारा की गयी टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगी और यदि वह उचित समझे तो उक्त प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर सकती है। तब परिषद् राज्य सरकार को यथा संशोधित बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगी या परिषद्, यदि प्राक्कलन को पुनरीक्षित करना उचित नहीं समझती है तो उसे राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियों सहित उसे प्राप्त करने के एक माह के भीतर अपने मूल रूप में प्रस्तुत करेगी।

(5) यदि राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथा पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन को अनुमोदित नहीं करती है या यदि परिषद् द्वारा बिना किसी पुनरीक्षण के बजट प्राक्कलन को वापस कर दिया जाता है तो राज्य सरकार निम्नलिखित द्वारा बजट प्राक्कलन को संशोधित कर सकती है—

- (एक) ऐसे उपान्तर करके जो उसकी राय में सुनिश्चित किये जाने योग्य तथ्यों के सन्दर्भ में प्राक्कलन को उचित रूप से निष्पादित करने या आय और व्यय को सन्तुलित करने के लिए आवश्यक हों
- (दो) किसी आवर्ती प्रकृति के नये व्यय से सम्बन्धित किसी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन या उपान्तर करके;
- (तीन) व्यय सम्बन्धी किन्हीं ऐसे उपबन्धों में, कोई परिवर्तन या उपान्तर करके जो उसकी राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार न हो;

और वह इस प्रकार यथा संशोधित बजट प्राक्कलन को परिषद् को भेजेगी और इस प्रकार वापस किया गया बजट प्राक्कलन सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए परिषद् का बजट प्राक्कलन होगा।

(6) यदि राज्य सरकार उपधारा (5) में निर्दिष्ट बजट प्राक्कलन को अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करती है तो ऐसा प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन के लिए उसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर या परिषद् द्वारा पुनरीक्षण सहित या बिना पुनरीक्षण के उसकी पुनःप्रस्तुति के दो माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा।

राज्य सरकार
द्वारा अनुदान

29— राज्य सरकार बजट प्राक्कलन, परिषद् के लेखे और बजट प्राक्कलन के ऐसे पुनरीक्षण, जैसा वह आवश्यक समझे, पर विचारोपरान्त उसे ऐसा वार्षिक या आवधिक अनुदान प्रदान कर सकती है जैसा वह उचित समझे, परन्तु परिषद् की स्थापना हो जाने पर और राज्य सरकार को प्रथम बजट प्राक्कलन भेजे जाने के पूर्व राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट जिसे वह परिषद् से माँग सकती है, विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रारम्भिक अनुदान प्रदान कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

परिषद् की
निधि

30—(1) परिषद् एक निधि का सृजन करेगी जिसे राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् निधि (जिसे आगे इस अधिनियम में परिषद् की निधि कहा गया है) कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी:—

- (क) समस्त धनराशि जिसका भुगतान धारा-29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाय;
- (ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन वसूल किया गया समस्त शुल्क और अन्य प्रभार;
- (ग) अध्ययन केन्द्र से या अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त धन;
- (घ) विन्यास से, यदि कोई हो, या परिषद् द्वारा स्वामित्व प्राप्त या प्रबन्धित सम्पत्ति से होने वाली आय का प्रतिनिधित्व करने वाली समस्त धनराशि;
- (ङ) किन्हीं अन्य स्रोतों से मुक्त विद्यालय की ओर से परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशि।

(2) निधि परिषद् में निहित होगी और उसके नियन्त्रण में होगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में रखी जाएगी।

(3) परिषद् के खाते में देय समस्त धन को तत्काल इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निधि के खाते में जमा किया जाएगा और निधि से आहरित समस्त चेक निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे जिसे उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किया जाय।

निधि से व्यय

31— इस अधिनियम के प्रयोजनों के सिवाय और जब तक इस अधिनियम के अधीन यथा अनुमोदित बजट में व्यय के लिए व्यवस्था न की गयी हो और उसकी पूर्ति पुनर्विनियोग द्वारा ऐसी रीति से न की गयी हो जैसी विहित की जाय, परिषद की निधि से कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

लेखा

32— परिषद् अपनी प्राप्तियों एवं व्यय का ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा रखेगी।

लेखापरीक्षा

33—(1) परिषद् के लेखा की परीक्षा और लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक रूप से ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक,—

(क) परिषद् के वित्तीय मामले या उसकी आस्तियों से सम्बन्धित किसी ऐसे दस्तावेज, जिसे वह लेखापरीक्षा के उचित संचालन के लिए आवश्यक समझे, को अपने समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) ऐसे दस्तावेज के लिए उत्तरदायी, उसे अपनी अभिरक्षा या नियन्त्रण में रखने वाले व्यक्ति से अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और दस्तावेज से सम्बन्धित किसी प्रश्न का लिखित रूप में उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है;

(ग) किसी व्यक्ति से अपने समक्ष उपस्थित होकर किसी ऐसे दस्तावेज के बजाय कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) परिषद् और उसके प्रत्येक सदस्य और सचिव और परिषद् की सेवा में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षक को परिषद् के लेखा की परीक्षा और लेखा परीक्षा के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान करें और उपधारा (2) के अधीन

लेखापरीक्षक द्वारा की गयी किसी मांग और उस निमित्त बनाये गये किसी नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी मांग को जानबूझकर दबाता है या उसका अनुपालन करने से इंकार करता है या इस निमित्त किसी नियम द्वारा की गयी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है तो वह, दोषसिद्ध हो जाने पर, ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई शिकायत, राज्य सरकार की पूर्वस्वीकृति के बिना, नहीं की जायेगी।

(6) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (4) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा
रिपोर्ट

34—(1) लेखापरीक्षा के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, लेखापरीक्षक राज्य सरकार को सम्परीक्षित लेखा पर 14 दिन के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति परिषद् को भेजेगा और तदुपरि परिषद् रिपोर्ट को उस पर अपनी अभ्युक्ति के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे।

अध्याय—सात

अनुपूरक उपबन्ध

भत्तों का
भुगतान

35—(1) धारा—7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य, यथास्थिति परिषद् या समिति की बैठकों में सम्मिलित होने या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा—6 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सचिव जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना अधिकारी होगा।

परिषद् द्वारा
सूचना
उपलब्ध
कराया जाना

36— परिषद् राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और विवरण प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाय और परिषद् से सम्बन्धित ऐसी अग्रतर सूचना या कोई मामला उपलब्ध करायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय।

कार्यवाहियाँ
निलम्बित
करने की
राज्य सरकार
की शक्ति

37— राज्य सरकार, परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को, लिखित आदेश द्वारा और उसका कारण बताते हुए, निलम्बित कर सकती है और किसी ऐसे कार्य के क्रियान्वयन को प्रतिषिद्ध कर सकती है जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित है या जिसका किया जाना आशयित है, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा संकल्प आदेश या कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति, परिषद् या किसी समिति पर प्रदत्त शक्तियों से बाहर है।

कतिपय
व्यक्तियों को
लोक सेवक
समझा जाना

38— परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्यों या परिषद् की सेवा में लगे व्यक्तियों और परिषद् के लेखा की लेखापरीक्षा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

संरक्षण

39— इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

व्यावृत्ति

40— इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी:—

(क) परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति में किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में किसी दोष के होने पर; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य द्वारा धारा 15 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मामले में मतदान करने पर; या

(ग) किसी ऐसे दोष या अनियमितता के होने पर जिसका किसी मामले के गुणागुण पर प्रभाव न पड़ता हो।

अस्थायी
उपबन्ध

41—(1) अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रथम विनियमावली बनायेगा।

(2) प्रथम विनियमावली एक वर्ष की अवधि तक या जब तक इस अधिनियम के अधीन कार्यकारिणी समिति द्वारा विनियमावली न बना ली जाय, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगी।

नियम बनाने
की शक्ति

42—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किया जा सकता है:—

- (क) परिषद् द्वारा सम्पत्ति का अर्जन, कब्जा और व्ययन, ऐसे अर्जन, कब्जा और व्ययन, और धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य के किये जाने की शर्तें;
- (ख) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (बयालीस) में निर्दिष्ट भविष्य निधि, परिषद् द्वारा संस्थित और संचालित की जायेगी;
- (ग) प्रपत्र, जिसमें परिषद् का बजट प्राक्कलन, जैसा धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है; तैयार किया जायेगा;
- (घ) समय जिसके भीतर, जैसा धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को भेजा जायेगा;
- (ङ) रीति, जिससे समस्त भुगतान परिषद् की निधि में या निधि से किया जाएगा;
- (च) धारा 31 के अधीन पुनर्विनियोग की रीति;
- (छ) धारा 32 के अधीन प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा रखे जाने की रीति;

- (ज) रीति, जिससे परिषद् की लेखा की परीक्षा और लेखापरीक्षा धारा 33 के अधीन की जायेगी;
- (झ) धारा 36 के अधीन परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली रिपोर्ट, विवरणियाँ और कथन और ऐसी रिपोर्ट, विवरणियों और कथनों का प्रपत्र; और
- (ञ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किये जाने या उपबन्धित किये जाने के लिए अपेक्षित है।

विनियम
बनाने की
शक्ति

43— कार्यकारिणी समिति परिषद् के अनुमोदन से और अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति के उचित प्रयोग और अपने कृत्यों के निष्पादन से सम्बन्धित किसी मामले या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

राज्य
सरकार के
निदेशों द्वारा
परिषद् को
मार्गदर्शित
किया जाना

44— परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पाठ्यक्रम के क्षेत्र और विषयवस्तु के मामले में ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगी जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा दिये जायें।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAI ANUBHAG-1
No. 1728(2)/LXXIX-V-1-1(Ka) 13-2008
Date, Lucknow : August 29, 2008

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Mukta Vidyalaya Parishad Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor of August 28, 2008.

THE UTTAR PRADESH STATE OPEN SCHOOL BOARD
ACT, 2008

(U.P. ACT No. 27 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to establish and incorporate the State Open School Board in the State of Uttar Pradesh and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas it is expedient to establish a State Open School Board in the State of Uttar Pradesh to provide distance education at School level to all those who cannot get themselves admitted to any school :

IT IS HEREBY enacted in the Fifty ninth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-1

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Open School Board Act, 2008.

**Short title,
extent and
commencement**

(2) It extends the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions

(a) "Board" means the State Open School Board, Uttar Pradesh established under section 3;

(b) "Centre Superintendent" means a person appointed as such by the Board for supervision of the examinations to be conducted by the Board;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Board appointed by the State Government under Clause (a) of section 4;

(d) "Director" means the Director of the Board appointed under Clause (b) of section 4;

(e) "Executive Committee" means the Executive Committee of the Board constituted under section 5;

(f) "Head of the Institution" means the Principal, the Head Master or the Head Mistress of a Study Centre of the Board;

(g) "Inspector" means a District Inspector of Schools;

(h) "Open School" means all the study centers under the Board including the Board;

(i) "Regulation" means the regulations made under this Act;

(j) "Regional Joint Director of Education or the Deputy Director of Education (Secondary)" means the Joint Director of Education or the Deputy Director of Education of a region;

(k) "Secretary" means the Secretary of the Board appointed under sub-section (1) of section 17;

(l) "Study Centre" means an institution identified and approved by the Board as a unit of the open school.

CHAPTER-II

The Board

3. (1) The State Government shall, as soon as may be after the commencement of this Act, by notification, establish a Board to be called the State Open School Board, Uttar Pradesh.

**Establishment &
incorporation of
the Board**

(2) The Board shall be a body corporate.

4. (1) The Board shall consist of the following members:—

**Constitution
of the Board**

(a) The Chairperson who shall be an officer appointed by the State Government not below the rank of the Director of Education—

Ex. Officio Chairperson

(b) The Director who shall be appointed by State Government not below the rank of Additional Director of Education—

Member-Secretary

(c) The Director of Education (Secondary) Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Additional Director of Education—

Ex. Officio member

(d) The Director of Education (Basic) Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of the Additional Director—

Ex. Officio member

(e) The Director of the State Council of Educational Research and Training or his nominee not below the rank of the Joint Director—

Ex. Officio member

(f) The Director Technical Education, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of the Joint Director

—Ex. Officio member

(g) The Director Information Department, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Joint Director

—Ex. Officio member

(h) The Director, Television Centre, Allahabad

—Ex. Officio member

(i) The Director, Radio Station, Allahabad

—Ex. Officio member

(j) The Vice Chancellor, Rajarshi Tandon Open University Allahabad or his nominee not below the rank of a Reader of any Department of the University

—*Ex. Officio member*

(k) The Director, Institute of Correspondence Education, Allahabad University, Allahabad. —*Ex. Officio member*

(l) The Field Advisor National Council of Educational Research and Training New Delhi, —*Ex. Officio member*

(m) A representative of National Institute of Open Schooling, New Delhi —*Member*

(n) Three elite educationists of which one shall be a female educationist nominated by the State Government —*Member*

(o) Three representative who shall be the Principals of Study Centres, having at least 15 years experience as a Principal nominated by the State Government —*Member*

(p) The Director Industries, Kanpur or his nominee not below the rank of the Joint Director —*Member*

(q) The Director, Government Printing Press Uttar Pradesh, Allahabad or his nominee not below the rank of the Joint Director —*Ex. Officio member*

(r) The Secretary, Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh— —*Ex. Officio member*

(s) The Secretary, Basic Education Board, Uttar Pradesh —*Ex. Officio member*

(2) The Constitution of the Board shall be published in the Gazette.

5. (1) There shall be an Executive Committee of the Board consisting of following members:—

(a) The Chairperson of the Board —*Ex. Officio chairperson*

(b) The Director of Education (Secondary) or his nominee —*Ex. Officio member*

**Executive
Committee**

- (c) The Director, State Open School Board, Uttar Pradesh
—Ex. Officio member Secretary
- (d) The Vice Chancellor, Rajarshi Tandon Open University, Allahabad
—Member
- (e) The Director, State Council of Educational Research and Training or his nominee.
—Ex. Officio member
- (f) The Director, Government Printing Press Uttar Pradesh, Allahabad or his nominee.
—Member
- (g) The Director of Education (Basic) U.P. or his nominee.
—Ex. Officio Member
- (h) A representative of National Open Schooling Institute, New Delhi.
—Ex. Officio member
- (2) The Chairperson shall preside over the meetings of the Executive Committee.

6. (1) The Board shall advise the State Government on all matters relating to the school and distance learning system;

(2) Subject to, any general or special order of the State Government, the provisions of this Act, and the rules made there under, the Board shall have generally the power: —

- (i) to direct, superwise and control activities of school and distance learning system.
- (ii) to design and develop a series of courses of studies leading to certification at the secondary levels; & higher secondary levels;
- (iii) to design, develop prescribe and offer courses of studies in Vocational areas to the students of the Board;
- (iv) to design and develop self - learning materials in print, audio, video compact disc, rom and other formates;

(v) to offer courses of studies through distance learning mode;

(vi) to collaborate with institutions at the State level such as State Council of Educational Research and Training, Uttar Pradesh, Board of High School and Intermediate Education Uttar Pradesh, Institutions of Education in Uttar Pradesh and State Institute of Educational Training and Management and Training Uttar Pradesh. Allahabad; and other such Institutions.

(vii) to collaborate with national and International agencies like the Institute of National Open Schooling, Indira Gandhi National Open University, National Council of Educational Research and Training, National Institute of Educational Planning and Administration. Common-Wealth of Learning, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations International Children's Emergency Fund and similar other agencies for continuing efforts at improvement of quality and standard of distance Education Process and materials.

(viii) to undertake research, and in particular, action research, for solving diagnostic problem, and for developmental thrust, in building the open school;

(ix) to collaborate with agencies and institutions for opening learning support centres or study centres for the students of the open school and to accord approval to such learning support-centres and study centres;

(x) to establish regional centres in Uttar Pradesh for the purpose of supervising the proper functioning of the learning support centres and study centres;

(xi) to publish or cause to be published, and to print, the learning and other materials developed by the Board;

(xii) to prescribe the regulations the conditions of registration of students. the eligibility criteria for appearing at the examinations of the Board, and the procedures of conduct of such examinations, and all other matters necessary for proper fulfillment of teaching and examination, and also to award certificates;

(xiii) to prescribe regulations for fees and other charges and the method of collection thereof;

(xiv) to organize training programmes for the members of the staff of the open school, the co-ordinators, the teachers of open school and such other persons as may be engaged as teaching assistants by study centres and as a resource centre in State training of personnel related open schooling;

Explanations :

(a) "Co-ordinator" shall mean any person appointed or recognized by the Board as Co-ordinator for the purposes of this Act and;

(b) "Teachers of Schools" shall mean the teachers of open school imparting education in Basic secondary and Higher Secondary schools and shall include Principals and Head Masters or Head Mistresses.

(xv) to purchase or otherwise acquire or take on lease or on hire for the Board;

(xvi) to invest and deal with funds and monies of the Board;

(xvii) to set up a Library containing books and learning materials in other media;

(xviii) to obtain or accept grants, subscriptions, fees, donations, gifts, bequests and properties both movable and immovable from the Government, or from any person for the purposes of the Board;

(xix) to built, construct and maintain building and alter, extend, improve, repair or modify any existing building and suitably equip such building, for the use of Board;

(xx) to appoint committees or sub-committees as may be deemed fit for carrying out the objects of the Board and to prescribe by regulations and guidelines for the proper functioning of such committees or sub committees;

(xxi) to make service regulations for the personnel related administration of the Board and for the proper management of the functions of the Board including welfare measures for the staff of the Board;

(xxii) to delegate any of its powers to any of the officers of the school or to any of the committees or sub-committees constituted by the Board, for more effective management and functioning of the Board;

(xxiii) to do all such lawful acts and things; whether incidental to the powers as aforesaid or not, as may be required to be done in order to further the aims and objectives of the Board;

(xxiv) to create administrative, technical and other posts under the Board, other than the Post of Director, and to make appointment thereto, with prior approval of the State Government;

(xxv) to co-operate with educational or other institutions having objects wholly or partly similar to those of the Board by exchange of teachers and scholars, generally in such manner as may be conducive to such objects;

(xxvi) to make regulations for the conduct of affairs for the Board;

(xxvii) to maintain the fund of the Board;

(xxviii) to deposit all monies credited to the fund referred to in clause (xxvi) in such banks, or to invest them in such manner, as the Board may with the approval of the State Government, decide;

(xxix) to meet out of the fund as aforesaid the expenses of the Board, including the expenses incurred while exercising its powers and discharging its functions under this Act;

(xxx) to prepare and maintain accounts and other records and to prepare an annual statement of accounts (including the balance sheet) of the Board in such form as may be prescribed by rules by the State Government;

(xxxi) to forward annually to the State Government the accounts of the Board as certified by such competent authority as the State Government may decide;

(xxxii) to grant or refuse recognition to study centres and to withdraw such recognition, if it thinks fit, after considering the recommendation of the Recognition committee, if any, in accordance with such regulations as may be made in this behalf;

(xxxiii) to maintain a register of recognized study centres;

(xxxiv) to provide for inspection of the recognized study centres;

(xxxv) to provide, by regulations, after considering the recommendations of the Syllabus committee, if any, the curriculum, the syllabus, the courses of studies to be followed, and the books to be studied for examinations conducted by the Board.

(xxxvi) to undertake, if necessary, with the approval of the State Government, the preparation, publication or sell of text books and other books for the use of the students of the open school.

(xxxvii) to maintain and publish from time to time list of books approved for the use of the students of the open school and for the examinations conducted by the Board and to remove the name of any such book from any such list;

(xxxviii) to conduct examinations and to make regulations in this behalf;

(xxxix) to publish results of the examinations conducted by the Board and to award diploma, certificates, prizes and scholarships in respect thereof :

(xi) to provide, by regulations, after considering the recommendations of the Examinations Committee, if any, the rates of remuneration to be paid to the paper setters, tabulators, examiners, invigilators, supervisors and other employed in connection with the examinations conducted by the Board and the fees to be paid by the candidates for such examinations;

(xii) to grant permission to candidates to appear at the examinations conducted by Board and to refuse, or to withdraw, such permission, if it thinks fit, in accordance with such regulations as may be made in this behalf;

(xiii) to institute, and to administer, such provident fund for the benefit of the officers and other employees of the Board as may be prescribed by rules made under this Act;

(xliii) to associate with in such manner and for such purpose as may be determined by regulations any persons, body, whose assistance or advice consider necessary for carrying out any of the provisions of this Act,

(xliv) to perform such other functions as may be assigned to it by the State Government;

(3) (a) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provision of sub-section (1) it shall be the duty of the Board to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the distance education system and for the determination of standard of teaching evaluation and research in such system.

**Salary-
Honorarium &
Allowances of
Chairperson &
other members
of the Board**

7. The Chairperson or any other member of the Board shall receive such honorarium from the Fund of the Board referred to in sub-section (1) of section 30 as may be determined from time to time by the State Government.

**Terms of
Office of other
members of
the Board**

8.(1) A member, other than an *ex-officio* member, shall hold office for a term of five years, from the date he assumed office.

(2) On expiry of the term of office as specified under sub-section (1), a member may be re-nominated.

**Casual
Vaacancies**

9. If the Chairperson or any other member, other than an *ex-officio* member dies or resigns his office or otherwise ceases to be the Chairperson or other

member, the vacancy shall be filled up by a fresh appointment or nomination, as the case may be.

**Terms of
Office of
Chairperson**

10. The appointment of Chairperson under clause (a) of sub-section (1) of section 4 shall be for such period, not exceeding six years, as the State Government may, by notification, specify. On the expiry of the period of appointments as aforesaid, the Chairperson may be re-appointed for such period as the State Government may determine so, however, the total period of appointment (including the period of re-appointment) as Chairperson shall not exceed ten years.

**Disqualification
supervening
membership of
the Board**

11. The Chairperson or any other member if becomes subject to any of the disqualifications specified in section 14 he shall cease to be the Chairperson, or other member, as the case may be, with effect from such date as the State Government may direct.

**Resignation of
Chairperson
and other
members**

12.(1) The Chairperson may resign his office by giving a notice in writing to the State Government, stating his intention so to do, and on such resignation being accepted by the State Government, the Chair person shall be deemed to have vacated his office.

(2) Any other member may resign his office by giving a notice in writing to the Chairperson, stating his intention so to do, and on such resignation being accepted by the Executive Committee such member shall be deemed to have vacated his office.

**Temporary
arrangement
for the office of
the
Chairperson**

13. If the Chairperson dies or resigns his office or ceases to hold office or is temporarily absent or, for any reason, is unable to exercise the powers and perform the duties of his office, the State Government shall authorize the Director

to exercise the powers and perform the duties of the Chairperson until the Chairperson resumes office or a new Chairperson is appointed, as the case may be.

14. A person shall be disqualified for being appointed or nominated as a member of the Board if he—

Disqualification

- (a) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind;
- (b) is an un-discharged insolvent;
- (c) is a discharged insolvent who has not obtained from the court a certificate that his insolvency was caused by misconception without any misconduct on his part;
- (d) has been convicted by a court of an offence involving moral turpitude;
- (e) directly or indirectly himself or in his partnership;
- (i) holds any share or interest in any text book approved by the board or published by or under the authority of the Board, or
- (ii) has any interest in any work by order of or in any contract entered into by or on behalf of, the Board, provided that a person who having any share or interest in any text book referred to sub-clause (i) shall not be deemed to have incurred the disqualification under the said sub clause, if five years have elapsed from the date of publication or republication of such Text Books.

15. The Chairperson or, in his absence the Director shall preside over the meetings of the Board and the Chairperson or the Director, as the case may be shall be entitled to vote on any matter and shall have a second or casting vote in every case of equality of votes, at any such meeting.

Conduct of meeting

16.(1) No member of the Board shall vote on any matter in which he has any personal interest.

**Restriction on
Vote**

(2) The Chairperson, or the Director, presiding over at the meeting of the Board shall decide any question arising under sub-section (1), and his decision thereon shall be final.

17.(1) The Board shall have a Secretary who shall be appointed by the State Government from amongst the Provincial Education Service Officers of Group A. The Secretary shall exercise such powers and perform such functions as may be assigned to him by the Director. The Secretary shall also preside over the committee in the absence of the Director.

**Person in the
service of the
Board**

(2) The State Government may appoint such other officers as it may consider necessary for carrying out the purposes of this Act from amongst the Provincial Education Services of the State of Uttar Pradesh, Officers.

(3) The Board may appoint its employees as it may consider necessary for carrying out the purposes of this Act and shall determine, subject to the approval of the State Government, the terms and conditions of such appointment including officers of State Financial Services of Uttar Pradesh.

(4) Mode of recruitment in respect of the posts to be created for the Board shall be either transfer on deputation or short term contract or regular basis as the Board may think fit. For work related specific assignments persons would be deployed on fixed emoluments with provision for revision each year if considered appropriate.

(5) Scales of pay in respect of the posts to be created by Executive Committee shall correspond to State Government scales of pay.

CHAPTER-III

Committees of the Board

18.(1) The Board shall constitute an Academic Advisory Committee thereof for advising it on the courses of studies.

**Academic
advisory
Committee**

(2) The advice given by the Academic Advisory Committee shall not be binding on the Board but if the board does not accept the advice of the Academic Advisory Committee the Board shall record the reasons for not accepting the advice given by the Academic Advisory Committee.

(3) Subject to the other provisions of this section, the Academic Advisory Committee shall consist of seven members including eminent academicians in different branches of knowledge to be nominated by the Board.

(4) The Chairperson shall be the Chairman of the Academic Advisory committee, and the Head of the Academic Department shall be the Secretary of the Academic Advisory Committee. The Board shall not nominate more than three members of the Board excluding the Chairperson in the Academic Advisory Committee.

(5) The Chairperson shall preside over the meetings of the Academic Advisory Committee and, in his absence, the Director shall preside over such meetings.

(6) A member of the Academic Advisory Committee, who is also a member of the Board, shall continue to hold office as a member of the Academic Advisory Committee till he ceases to be a member of the Board.

(7) Any member of the Academic Advisory Committee may resign after giving fifteen days notice to the Director and the Board shall have the power to remove any member of the Academic Advisory Committee after recording reasons there for at a meeting.

**Other
Committees of
the Board**

19.(1) The Board may also constitute the following Committees : —

- (a) Syllabus Committee
- (b) Examination Committee
- (c) Recognition Committee
- (d) Finance Committee

(2) The Board may constitute such other committee or committees as it may think fit.

(3) Each of the Committees constituted under sub-section (1) shall consist of the Director as its Chairman and such other members, not exceeding seven as the Board may think fit.

(4) Each such committee shall have a Secretary thereof who shall be deputed by the Director from amongst the officers of the Board. Provided that the Examination Committee shall have the Secretary to be known as the Examination Controller. Such Secretary shall be an officer of the Provincial Education Service appointed by the State Government.

(5) Any member of the Board may be appointed to be a member of any Committee constituted under sub-section (4) but the total number of members of the Board, including Director in any such committee shall not exceed four.

20. The Syllabus Committee shall advise the Board :

(a) on matters relating to the Syllabus; the courses of studies to be followed, and the books to be studied for examinations conducted by the Board, and

(b) on any other matter which is connected with or incidental to the matter referred to in clause (a) which may be referred to it by the Board.

21 (1) The Examination Committee shall advise the Board on : —

(a) the selection of examination centres, paper setters, moderators, tabulators, examiners, invigilators, supervisors or others engaged in connection with the examinations conducted by the Board and the rates of remunerations to be paid to them.

(b) the fees to be paid by the candidates for such examinations, and

(c) such other matters relating to the examinations as aforesaid as may be referred to it by the Board for advice.

**Functions of
syllabus
Committee**

**Functions of
examination
Committee**

(2) The Examination committee shall be responsible for the Conduct of Examinations under the supervision of the Examination controller and prepare the Certificates of Secondary and Higher Secondary standard and also vocational certificates to be issued to the successful students by the Secretary.

22. The Recognition committee shall advise the Board on all matters relating to the recognition of study centres.

Functions of the Recognition Committee

23. The Finance Committee shall prepare the budget of the Board and shall advise the Board on such matters relating to finance as may be referred to it by the Board for advice.

Functions of the Finance Committee

24. The committee, if any, constituted by the Board under sub section (2) of section 19 shall perform such functions as may be assigned to it by the Board.

Functions of other Committee

CHAPTER-IV

Powers and functions of Chairperson and Director

25.(1) (a) The Chairperson shall exercise general supervision and control over the Board : —

Powers and functions of Chairperson and the Director

(b) The Chairperson may, in any emergency, exercise any of the powers of the Board provided, that he shall not act contrary to any decision of the Board and shall, as soon as thereafter may be, report to the Board the action taken by him in exercise of any such power with the reason therefor.

(2) The Director shall,—

(a) be responsible for carrying out, and for giving effect to, the decisions of the Board or of any committee constituted under this Act,

(b) sanction such claims for allowances, and at such rates, as the State Government may determine;

(c) take such other action, not in consistent with any decisions of the Board, as he considers necessary for the proper functioning of the Board.

CHAPTER-V

Meetings

26.(1) The annual meeting of the Board shall be held in the month of December in every calendar year.

**Meetings of
the Board**

(2) The Board may hold meetings at such other times as the Chairperson may decide.

(3) One third of the total number of members of the Board shall form the quorum of a meeting of the Board.

(4) The meeting of the Board shall be convened by the Director after giving ten days notice to the members along with the agenda to be prepared by the Director in consultation with the Chairperson.

(5) The Director may, on the advice of or in consultation with the Chairperson convene an emergent meeting of the Board, after giving two days' notice to the members, for transacting any urgent matter.

CHAPTER-VI

Finance & Audit

Annual Report

27. (1) The Chairperson shall place at the first annual meeting of the Board in the year next following the year in which it is constituted and at every annual meeting thereafter a report on the working of Board during the last preceding financial year. He shall also place annual accounts of the Board of that year.

(2) The report and the annual accounts shall be forwarded to the Board before one month of its presentation at the annual meeting of the Board with such comments thereon as the Chairperson may think fit to make.

Budget

28. (1) The Chairperson shall place at every annual meeting a Budget estimate, in such form as may be prescribed, showing the anticipated income and

expenditure of the Board during the financial year in which the annual meeting is held.

(2) The Budget estimate shall, after confirmation by the Board, be forwarded to the State Government within such time as may be prescribed.

(3) The State Government shall within one month of the receipt of the Budget Estimate, either accord its approval thereon or return it to the Board with such comments and suggestions as it may deem necessary if, in its opinion such estimate,—

(i) is not reasonable or accurate with reference to the ascertainable facts.

(ii) includes new items of recurring expenditure which are likely to impose upon the Board in the future financial liabilities which the Board is not likely to be able to meet from its income; or

(iii) includes provisions for such expenditure which are not in accordance with the provisions of this Act.

(4) If the Budget Estimate is returned under sub section (3), the Board shall consider the comments and suggestions made by the State Government and may, if it thinks fit, revise the said estimate. The Board shall then, submit the Budget estimate as so revised to the State Government or the Board shall, if it does not think fit to revise the estimate, submit it in its original form to the State Government within one month of receiving it together with its comments.

(5) If the State Government does not approve the Budget estimate as revised by the Board or if the Budget Estimate is returned by the Board without revision, the State Government may amend the Budget Estimate by making,

(i) such modifications as are, in its opinion, necessary to render the Estimate reasonably accurate with reference to ascertainable facts or to balance the income and the expenditure;

(ii) additions, alterations or modifications in any provision relating to new expenditure of a recurring nature;

(iii) any alterations or modifications in any provisions for expenditure, which in its opinion, are not in accordance with the provisions of this Act; and shall forward the Budget estimate as so amended to the Board, and the Budget estimate so returned shall be the Budget Estimate of the Board for the relevant financial year.

(6) If the State Government does not accord its approval to the Budget Estimate referred to in sub section (5) such Estimate shall within three months of receipt thereof by the State Government for such approval or within two month of re-submission thereof by the Board with or without revision, be deemed to have been approved by the State Government.

29. The State Government may, after considering the Budget Estimate, the accounts of the Board and such revision of the Budget Estimate as it may think necessary, make such annual or periodical grant to it as it may think fit, provided, that on the establishment of the Board and before the first budget estimate is forwarded to the State Government, the State Government may, after considering such report as it may call for from the Board, make such initial grant to Board as it may consider necessary.

**Grant by the
State
Government**

30.(1) The Board shall create a fund to be called the State Open School Board Fund (hereinafter referred to in this Act as the Fund of the Board) to which shall be credited-

**Fund of the
Board**

- (a) all sums which may be paid by the State Government under section 29,
- (b) all fees and other charges realised under any of the provisions of this Act,
- (c) all moneys received by the Board from a study centre or by way of grants, gifts, donations, benefactions, bequests or transfer,

(d) all sums representing income from endowments, if any, or from property owned or managed by the Board, and

(e) all other sums received by the Board on behalf of the open school from any other sources.

(2) The Fund shall vest in the Board and shall be under its control and be held in trust for the purposes of this Act

(3) All moneys payable to the credit of the Board shall forthwith be paid into the Allahabad Bank or any Nationalised Bank to the credit of the Fund and all cheques drawn on the fund shall be signed by the Director or by such other person as may be authorised by him in writing on his behalf.

31. No expenditure shall be incurred from the Fund of the Board except for the purposes of this Act and unless such expenditure is provided for in the Budget as approved under this Act or may be met by re-appropriation in such manner as may be prescribed.

**Expenditure
from the fund**

32. The Board shall keep an account of all its receipts and expenditure in such manner as may be prescribed.

Accounts

33. (1) The account of the Board shall be examined and audited annually by an auditor or auditors appointed by the State Government in such manner as may be prescribed.

Audit

(2) For the purposes of examination and audit under sub section (1), an auditor appointed under that sub-section may,

(a) require, in writing the production before, him of any document relating to financial matter of the Board or the assets thereof which he considers to be necessary for the proper conduct of the audit.

(b) require, in writing, the personal appearance before him of any person accountable for, or having the custody or control of, any such document to answer any question relating thereto; or

(c) require any person for appearing before him to submit a statement in writing instead of any such document.

(3) It shall be the duty of the Board and every member thereof and of the Secretary and other officers and employees in the service of the Board to afford to the auditor every facility for the examination and audit of the accounts of the Board and to comply with any requisition made by auditor under sub section (2) and the requirements of any rule made in this behalf;

(4) Any person who willfully suppresses, or refuses to comply with, any requisition made under sub-section (2) or refuses to comply with the requirement of any rule made in this behalf shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees.

(5) No complaint in respect of any offence punishable under sub-section (4) shall be made except with the previous sanction of the State Government.

(6) No Magistrate other than the Judicial Magistrate of First Class shall try any offence punishable under sub section (4).

Audit Report

34. (1) After the completion of the audit, the auditor shall submit within 14 days to the State Government a report on the accounts audited, and shall send a copy thereof to the Board and there upon, the Board shall forward the report to the State Government with its comments thereon.

(2) The State Government shall take such action on the report submitted under section (1) as it thinks fit.

CHAPTER-VII

Supplemental Provisions

Payment of allowances

35. (1) Subject to the provisions of section 7 the members of the Board or of any committee constituted under this Act shall receive such allowances for attending the meetings of the Board or the committee, as the case may be and for other such purposes, as the State Government may determine.

(2) As per the provision of sub section (1) of section of 6 of the Right to Information Act, 2005 the Secretary shall be the Information Officer to provide informations to the public.

Board to furnish information

36. The Board shall furnish to the State Government such reports, returns, and statements as may be prescribed and such further information or any matter relating to the Board as the State Government may require.

Power of State Government to suspend proceedings

37. The State Government may, by order in writing and stating the reasons therefore, suspend the execution of any resolution or order of the Board or of any committee constituted under this Act and prohibit the doing of any act which is purported to be done or is intended to be done under this Act, if the State Government is of opinion that such resolution, order or act is in excess of the powers conferred by or under this Act on the Board or any committee, as the case may be.

Certain persons deemed to be public servants.

38. The members of the Board or of any committee constituted under this Act, persons in the service of the Board and any other person appointed under this Act to Audit the accounts of the Board shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860.

39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done under this Act.

Indemnity

40. No Act or proceeding under this Act shall be invalid merely on the ground of—

Savings

(a) the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Board or any committee constituted under this Act; or

(b) any member of the Board having cast his vote in any matter in contravention of the provisions of section 15; or

(c) any defect or irregularity not affecting the merit of any case.

41. (1) The Chairperson shall make the first regulations for the purposes of this Act.

Transitory provisions

(2) The first regulations shall remain in force for a period of one year or until regulations are made by the Executive Committee under this Act, whichever is earlier.

42. (1) The State Government may, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Powers to make rules

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters:—

(a) the acquisition, possession and disposal of property by the Board, the conditions of such acquisition, possession and disposal, and the doing of any other thing referred to in sub section (2) of section 6;

(b) The provident fund referred to in clause (xlii) of sub-section (2) of section 6 as may be instituted and administered by the Board.

(c) The form in which the Budget Estimate of the Board shall be prepared as referred to in sub-section (1) of section 28;

(d) The time within which the Budget Estimate shall be forwarded to the State Government as referred to in sub section (2) of Section 28;

(e) The manner in which all payments to and from the fund of Board shall be made.

(f) The manner of re-appropriation under section 31.

(g) The manner of keeping of accounts of receipts and expenditure under section 32.

(h) The manner in which examinations and audit of accounts of the Board shall be made under section 33;

(i) The reports, returns and statements to be furnished by the Board under section 36 and the form of such reports, returns and statements; and

(j) Any other matter required to be prescribed, or to be provided for, by rules.

43. The Executive Committee may, with the approval of the Board and by notification, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made there under in respect of any matter relating to the proper exercise of its powers and discharge of its functions under this Act or any other matter.

Power to make regulations

44. The Board shall, in exercising its powers and performing its duties under this Act, be guided by such directions in the matter of scope and content of courses of studies as the State Government may by notification give from time to time.

Board to be guided by directions of State Government